<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

	दांडिक प्रकरण क.— 405/2015
	संस्थित दिनांक— 01.12.2015
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
1. संजू पुत्र बाली कुशवाह उम्र 22 साल	
 तोरन पुत्र दीपचंद्र कुशवाह उम्र 36 साल सभी निवासीगण खटीक मोहल्ला 	फौत
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
—: <u>निर्णय</u> :—	अभियुक्तगण

<u>(आज दिनांक 15.03.17 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त संजू के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 498''क'', 323, 323/34 एवं अभियुक्त तोरन के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 354ए, 323, 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि दिनांक 07.05.14 से 07.07.15 के मध्य खटीक मोहल्ला स्थित अपने मकान में अभियुक्त संजू ने अपनी पत्नी रामकुवंरबाई के साथ कूरता कारित की व अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर रामकुंवर बाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में रामकुंवर बाई को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा साथ अभियुक्त तोरन ने रामकुंवर बाई कि लज्जा भंग करने के आशय से या ये जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी उसका हाथ पकडकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि रामकुंवरबाई की शादी दिनांक 07.05.14 को हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार अभियुक्त संजू कुशवाह निवासी चंदेरी के साथ हुई थी। फरियादी रामकुंवर शादी के बाद के घर आई थी। अभियुक्त संजू द्वारा फरियादी के मां बाप से दहेज कम देने के उपर विवाद करने लगा और कहने लगा कि फरियादी अपने माता पिता से एक लाख रूपया और दहेज का सामान लाना नही तो साथ में नही रखूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। फरियादी की सास कांतिबाई का पित फरियादी के शादी के दो वर्ष ही खत्म हो गया था, उनको फरियादी के फफुआ ससुर तोरन कुशवाह

(2)

ने रख लिया था जो संजू के घर में रहता था। तोरन ने 4–5 दिन बाद बुरी नीयत से फरियादी का हाथ पकड लिया था और बोला था कि फरियादी उसके साथ रहे नही तो वह अभियुक्त संजू के साथ भी नही रहने देगा संजू की दूसरी शादी करा देगा। दोनो अभियुक्तगण ने रामकुवर बाई के साथ मारपीट भी की। फरियादी के माता पिता से भी अभियुक्तगण की कहा सुनी हो गई थी। फरियादी ने घटना अपने माता पिता को बताई। फरियादी के माता पिता ने फरियादी की नहीं सुनी। इसके बाद फरियादी बीना चली गई अपने माता पिता के साथ लेकिन उस दिनांक के बाद तक फरियादी इंतजार करती रही कि उसे अभियुक्त संजू लेने आया। फरियादी द्वारा एक साल तक इंतजार करने पर न आने पर फरियादी द्वारा थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत लेखिए आवेदन प्रथपी0 1 दिया था। उक्त आवेदन पर से पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-235/15 अंतर्गत धारा 498''क'', 354, 323, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

- 03— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी रामकुवर बाई के द्वारा अभियुक्त संजू से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुये उक्त राजीनामें के आधार पर अभियुक्त संजू आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 323 / 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त तोरन से फरियादी का राजीनामा न होने से उसके विरूद्ध धारा 354 ए, 323, 323 / 34 भा0द0वि0 में विचारण किया गया परन्तु प्रकरण के विचारण के दौरान ही अभियुक्त तोरन की दिनांक 11.09.16 को मृत्यु हो जाने के कारण उसे दिनांक 25.02.17 को फौत घोषित कर उसके विरूद्ध कार्यवाही सामाप्त की गई तथा मात्र अभियुक्त संजू के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 498क राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा के तहत विचारण जारी रहा।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

क्या अभियुक्त संजू ने दिनांक 07.05.14 से 07.07.15 के मध्य खटीक मोहल्ला स्थित अपने मकान में अपनी पत्नी रामकुवंरबाई के साथ कूरता कारित की? दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ? 2.

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी रामकुवर बाई (अ०सा०-1) सहित उसके पिता शिवराम (अ०सा०-2) व मां शकुन बाई (अ०सा०–3) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी रामकुवरबाई (अ०सा०–1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना हे कि उसकी अभियुक्त से शादी ढाई तीन वर्ष पूर्व हुई थी जिसके बाद वह अपने पित के साथ चंदेरी में पांच से छः महीने रही है। फिरयादी का कहना हे कि शादी के बाद उसकी उसके पित से नहीं बनी और घरेलू बातों पर विवाद होने लगा था जिसके बाद वह अपने माता पिता के घर पर आ गई थी और जब अभियुक्त उसे लेने नहीं आया तो उसके पिता ने बीना में ही अभियुक्त की शिकायत की थी तो चंदेरी थाने से एक महिला पुलिसकर्मी उससे पूछताछ करने आई थी। फिरयादी रामकुंवर बाई (अ०सा०—1) ने प्रथिण 1 के आवेदन एवं प्रथिण 2 की रिपोर्ट सहित नक्शा मौका प्रथिण 3 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं परन्तु फिरयादी का कहना है कि उसने थाने पर आवेदन नहीं दिया तथा आवेदन में क्या लिखा है इसकी उसे जानकारी नहीं है। फिरयादी के अनुसार पुलिस थाना चंदेरी से आई पुलिस कर्मी से उसके प्रथिण 1, 2 व 3 पर उसके घर पर ही हस्ताक्षर करवा लिये थे।

- 07— फरियादी रामकुंवरबाई (अ०सा0–1) प्रकरण में मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध रामकुवंर बाई (अ०सा0—1) ने भी प्र०पी० 1 का लेखिए आवेदन पुलिस थाना चंदेरी में दिया था जिसके उपर से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। परन्तु फरियादी रामकुवर बाई (अ०सा०–1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही पुलिस थाना चंदेरी में प्रथपी0 1 का आवेदन देने से इंकार करती है। फरियादी रामकुवर बाई (अ०सा0-1) अपने मुख्य परीक्षण में अपने पति से वैचारिक मतभेद होने के कारण घरेलू बातों पर विवाद होना बताती है। इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उसे दहेज की मांग के लिये किसी भी प्रकार से प्रताडित किया या उसके साथ मारपीट की। रामकुंवर बाई (अ०सा0–1) के पिता शिवराम (अ0सा0-2) व मां शकुनबाई (अ0सा0-3) का भी अपने मुख्यपरीक्षण में यही कहना है कि उनकी पुत्री व दमाद के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद हो रहा था इसलिए उनकी आपस में नही बन रही थी। जिसके बाद उनकी लडकी अर्थात फरियादिया उनके पास आकर रहने लगी। इन दोनों साक्षियों का भी कही भी यह कहना नही है कि अभियुक्त के द्वारा उनकी लडकी से दहेज की मांग की जा रही थी या उक्त कारण से उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित किया जा रहा था। यह दोनों ही साक्षी फरियादी रामकुंवरबाई (अ०सा०–1) के कथनों के सामान मामूली बातों पर फरियादी व अभियुक्त का झगडा होना बताते हैं।
- 08— फरियादी रामकुंवरबाई (अ०सा०—1) सिहत शिवराम (अ०सा०—2) व शकुनबाई (अ०सा०—3) के मुख्यपरीक्षण में दी गई साक्ष्य को देखते हुये उनका विस्तृत परीक्षण न्यायालय द्वारा भी किया गया परन्तु फरियादी सिहत शिवराम (अ०सा०—2) व शकुन बाई (अ०सा०—3) ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नही किया। फरियादी सिहत सभी साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्त ने शादी के बाद से कभी भी फरियादी को दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया या उसके साथ मारपीट की। फरियादी सिहत अन्य साक्षियों का भी अपने न्यायालीन कथनों में यही कहना है कि अभियुक्त व रामकुवर बाई के मध्य मामूली घरेलू झगडा था जो कि वर्तमान में नही है तथा वर्तमान में वह दोनों राजीनामा होकर एक साथ रह रहे हैं।
- 09— फरियादी रामकुंवर बाई (अ०सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरूद्ध ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इन्कार करती हैं जिसमें अभियुक्त ने उसे दहेज के लिये उसे प्रताडित कर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की

। यहां तक फरियादिया प्र0पी0 1 का लेखिये आवेदन पुलिस को न देना बताती है तथा साथ ही उक्त आवेदन में एवं प्र0पी0 2 की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी न होने के साथ ऐसी कोई भी घटना पुलिस को लेख कराने से इन्कार करती है। अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्त ने शादी के बाद कभी भी फरियादी रामकुवर बाई को दहेज के रूप में एक लाख रूपये और सामान लाने के लिये प्रताडित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी।

- 10— फरियादिया रामकुंवरबाई (अ०सा0—1) सहित शिवराम (अ०सा0—2) व शकुन बाई (अ०सा०-3) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त से रामकुंवर बाई (अ०सा०-1) का विवाद तो होना बताते है परन्तु इन सभी साक्षियों का कहना है कि उनके बीच घरेलू विवाद था। फरियादिया रामकुंवर बाई (अ०सा०–1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही व्यक्त किया है कि उसके पति से उसकी शादी के बाद नहीं बनी तथा घरेलू बातों पर विवाद होने लगा था। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पति–पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा0द0वि0 की धारा 498''क'' के अपराध की श्रेणी में आते है अथवा नही।
- 11— यहां भा0दं0वि0 की धारा 498''क'' का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498''क'' के अनुसार— जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "कूरता " से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

- जानबुझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या
- (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 12— धारा 498''क'' में उल्लेखित शब्द क्रूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 ''क'' के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनो खण्डो की अधीन आती है। अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नही दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी रामकुंवर बाई (अ०सा०–1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो।

- 13— पति—पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498''क'' के स्पष्टीकरण के ,खण्ड क की श्रेणी में नहीं आते। जहां तक स्पष्टीकरण के खण्ड ''ख'' का प्रश्न है तो स्वंय फरियादी सहित अन्य साक्षियों ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद रामकुंवर बाई (अ०सा0-1) से कभी भी दहेज की कोई मांग की।
- 14— अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्त ने फरियादी रामकुंवरबाई (अ०सा0–1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन ने देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी रामकुंवर बाई (अ०सा0-1) को या उसके माता पिता को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी माता पिता ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा
- 15— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्त संजू ने दिनांक-07.05. 14 से 07.07.15 के मध्य खटीक मोहल्ला स्थित अपने मकान में अपनी पत्नी रामकूवंरबाई के साथ क़्रता कारित की।
- 16— फलस्वरूप<u> अ**भियुक्त संजू पुत्र बाली कुशवाह</u> के विरूद्ध भा**0दं0वि0 की धारा 498ए के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर **अभियुक्त संजू पुत्र बाली**</u> कुशवाह को भा0दं0वि० की धारा 498 ''क'' के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 17— अभियुक्त संजू पुत्र बाली कुशवाह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)